न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० । निगरानी 523-IV/99 (21)

१- राजेश कुमार ।
२- दीपक कुमार । पुत्रगण सीताराम वैश्य
३- अशोक कुमार ।

निवासीगण ग्राम बामौर डामरौन,
तेहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म०प्र०)
-- आवेदकगण

विरूद्ध

दयाराम (मृत) वारिसान —
1. राजाबेटी बेवा स्व. दयाराम
2. राजेश्वर दयाल गुप्ता पुत्र स्व. दयाराम
3. रामस्वरूप गुप्ता पुत्र स्व. दयाराम
4. वीरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. दयाराम
समस्त निवासीगण ग्राम बामौर (डामरौन) तह. पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

हसील
क
ालियर
पारित
राजस्व
वैध, अनु
किए जा
देत भू
ाय पत्र
उसको
मान्त

क्रमांक ....
श्री मुकेश्वर भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 19.3.99
को प्रस्तुत 19.3.99
हैड क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव एडवोकेट
19-3-99 ग्वालियर

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संशोधन किया।
28-11-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० । निगरानी 523-IV/99

१- राजेश कुमार ।
२- दीपक कुमार । पुत्रगण सीताराम वैश्य
३- अशोक कुमार ।

निवासीगण ग्राम बामौर डामरौन,
तेहसील पिछोर जिला शिवपुरी (म०प्र०)
-- आवेदकगण

विरुद्ध

दयाराम पुत्र हरदास वैश्य
निवासी बामौर डामरौन, तेहसील
पिछोर जिला शिवपुरी म०प्र०
---- अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक १६५।६७-६८ अपील में पारित आदेश दिनांक २७-२-६६ के विरुद्ध म०प्र० भू- राजस्व संहिता की धारा ५० के अधीन पुन० ।

माननीय महोदय,

आवेदकगणों का निम्नांकित निवेदन है :-

१- यहकि, अधिनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

२- यहकि, आवेदक क्र० ३ ने अनावेदक के पास विवादित भूमि रहन रखी थी । अनावेदक ने रहन के एवज मे विक्रय पत्र लिखा लिया था । आवेदक क्र० ३ ने अनावेदक की रकम उसको वापस लौटा दी थी । अत: अनावेदक के नाम नामान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

क्रमश-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 523–चार/99 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र0क्र0 165/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 27.02.99 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक क्र0 3 ने अनावेदक के पक्ष में 1984 में किया था और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामांतरण हुआ था। इस नामांतरण आदेश के विरूद्ध कोई अपील/निगरानी नहीं होने यह आदेश अंतिम हो चुका है। केवल अमल न होने के कारण यह आदेश "शून्य" नहीं माना जा सकता है। आवेदक क्र0 3 के द्वारा इस तथ्य को छिपा कर अपने भाईयों के पक्ष में दूसरा नामांतरण उनके पक्ष में बाद में किये गये विक्रय के आधार पर कराया है जो किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। आवेदकगण यह सिद्ध नहीं	

कर सके है कि पूर्व का विक्रय " विक्रय" न होकर रहननामा था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, पिछोर के द्वारा बाद के नामांतरण आदेश को अपास्त करने में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि की जाना नहीं पाई जाती है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर ने अपने विस्तृत आदेश में की है ।

4/ उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विवादित भूमि आवेदकगण की न होकर अनावेदक की है, क्योंकि आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई ठोस प्रमाण अथवा साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिससे की यह साबित हो सके कि उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदकगण की है।

5/ अतएव आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त किया जाता है, तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.1999 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य